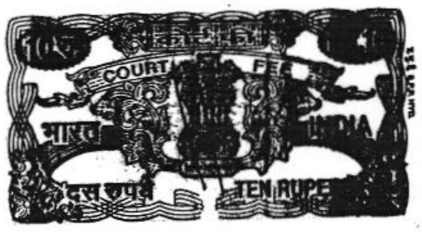

न्यायालय म.प्र.राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर मध्यप्रदेश

प्रकरण कमांकः- /१३ निगरानी — R-1566-I/13

०१. प्रतापसिंह पिता अनारसिंह सोंधिया निवासी ग्राम धतुरिया तहसील सुसनेर जिला शाजापुर (म०प्र०)

.........आवेदक

विरूद्व

०१. म०प्र०शासन द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय सुसनेर जिला शाजापुर (म०प्र०)
०२. भोना पिता माधुजी निवासी ग्राम धतुरिया
०३. इन्दरसिंह पिता रामलाल निवासी ग्राम धतुतिरया तहसील सुसनेर जिला शाजापुर (म०प्र०)

.............अनावेदकगण

पुनरीक्षण अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय जिला शाजापुर के प्रकरण क्रमांक ३६/स्व०निगरानी/१२.१३ में पारित आदेश दिनांक १४/०३/१३ से असन्तुष्ट एवं दुखित होकर निम्न कारणों के आधार पर पुनरीक्षण अन्दर अवधि प्रस्तुत करता है।

पुनरीक्षण प्रार्थना-पत्र अर्न्तगत धारा ५० म.प्र.भू.रा.संहिता

०१. यह कि अधीनस्थ योग्य न्यायालय का आदेश जैर निगरानी विधि विधान एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्ती योग्य है।

०२. यह कि अनावेदक कं० दो को वादग्रस्त भूमि सर्वे नं० ३४६ रकबा १.०८७ हे० पर भूमि स्वामी स्वत्व प्राप्त हो चुके थे व उसके पश्चात आवेदक ने उक्त भूमि पर अपना नामान्तरण अनावेदक दो की सहमति से करवाया जिसे स्वमेव निगरानी में लिये जाने का कोई अधिकार अनावेदक एक को नहीं था।

०३. यह कि अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश क्षेत्राधिकारविहीन है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय को उक्त प्रकरण इतने समय के पश्चात स्वमेव निगरानी में लिये जाने का कोई अधिकार किसी प्रकार का नहीं था इस कारण से भी अधीनस्थ योग्य न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

57

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1566-एक/13 **जिला** - शाजापुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ए.आर. यादव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	
अपर	(3)	